ISO-9001:2008

हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण

द्वारा

"पहले आओ पहले पाओ"

के आधार पर तत्काल आवंटन योजना के अन्तर्गत आनन्द विहार आवासीय योजना में मध्यम आय वर्ग के फ्लैट प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर

(अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के अधीन)

UPRERAPRJ7787

विवरण पुस्तिका तथा आवेदन-पत्र

पंजीकरण दिनांक 27.01.2021 से 31.03.2023

"सुनियोजित विकास, आपकी आशा-हमारा ध्येय, जल संचय-जीवन संचय"

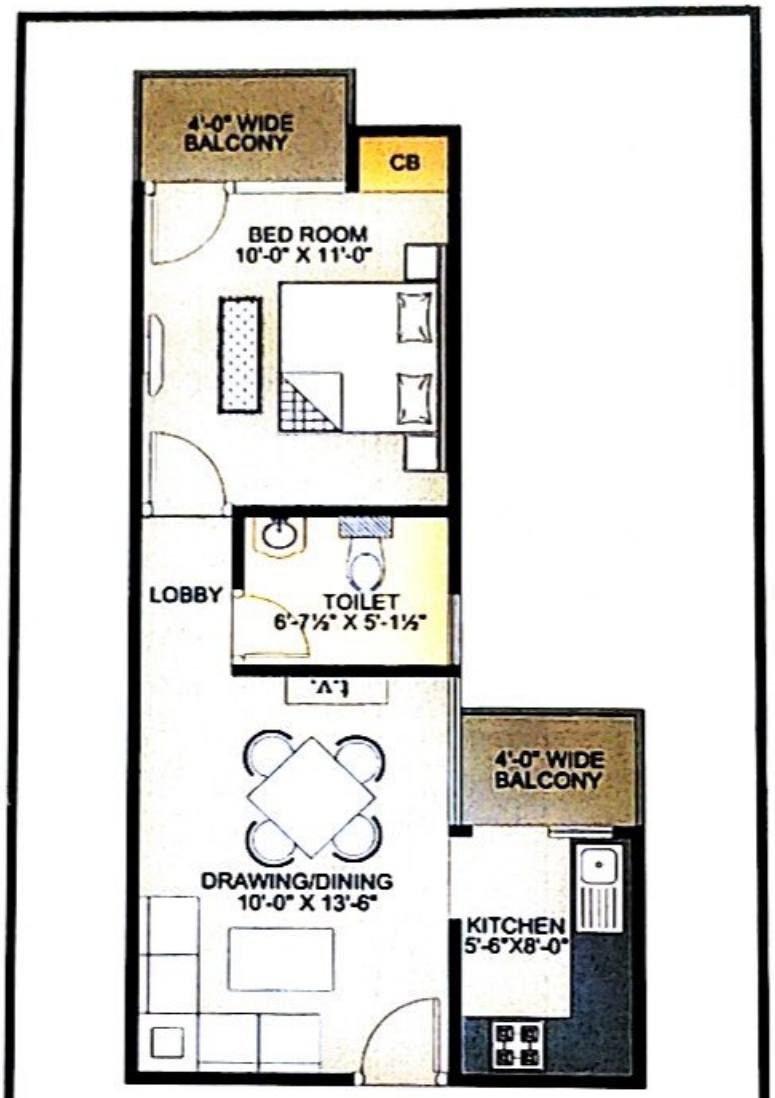

TYPE - 3
1BHK+1TOILET

COVERED AREA : 386.42 SQ.FT.
BALCONY AREA/CUP BOARD AREA : 59.74 SQ.FT.
CIRCULATION AREA : 83.76 SQ.FT.
TOTAL AREA : 529.92 SQ.FT.

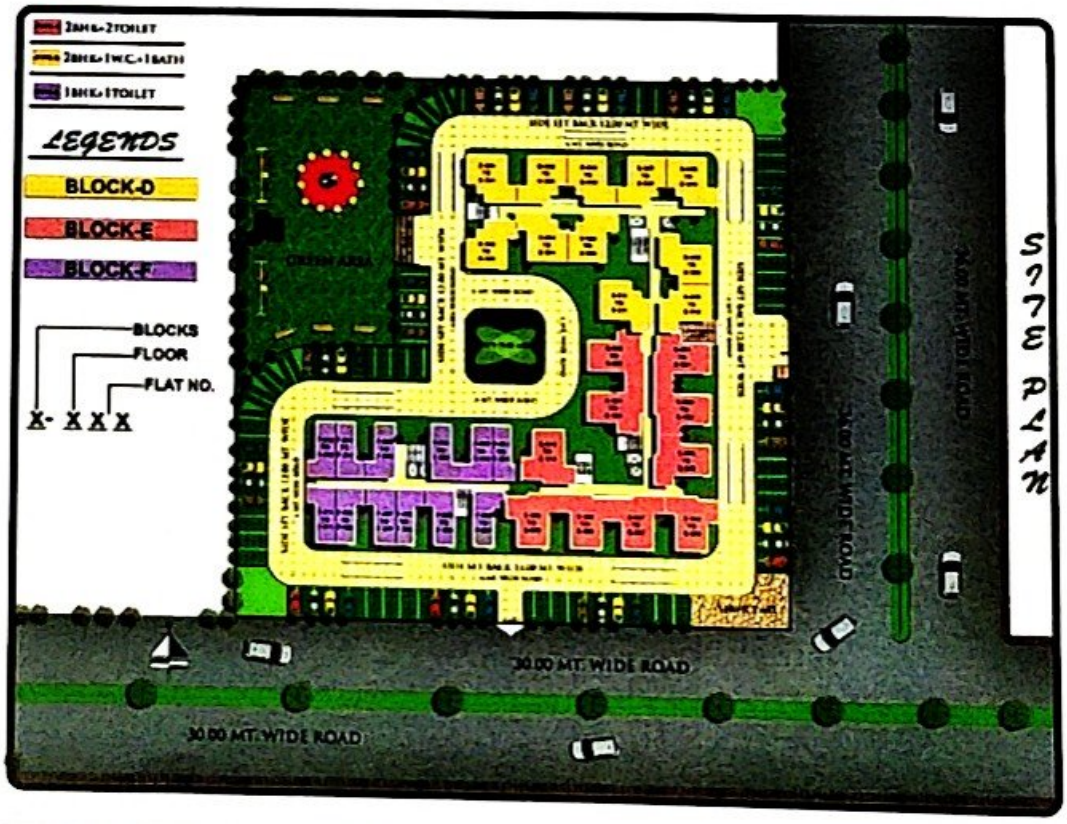

प्रमुख आकर्षण

- हापुड़–दिल्ली मुख्य मार्ग पर स्थित प्राधिकरण की प्रीमियम आवासीय योजना ''आनन्द विहार'' के एच ब्लॉक में स्थित।
- योजना से नई दिल्ली की दूरी मात्र 45 किमी0 एन.एच.–9 से बेहतर कनेक्टिविटी।
- हापुड़ कलेक्ट्रेट से 100 मीटर की दूरी पर स्थित।
- जिला प्रशासकीय व प्राधिकरण के अधिकारियों के आवास के सन्निकट।
- आनन्द विहार योजना में विकसित डॉ राम मनोहर लोहिया पार्क से मात्र 100 मीटर की दूरी पर।
- योजना में जनपद न्यायालय का निर्माण प्रस्तावित।
- चौडी सड़के, विकसित पार्क, स्ट्रीट लाईटस व अन्य सुविधाओं से सुसज्जित।
- भवनों के परिसर पर बाउण्ड्रीवाल, मेन गेट तथा एकल प्रवेश व निकास की व्यवस्था के साथ सुरक्षा गार्ड का प्रावधान।
- भवनों का निर्माण छः मंजिले अपार्टमेन्ट के रूप में किया गया है, जिसमें पर्याप्त लिफ्ट की सुविधा दी जायेगी।
- नोएडा व ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर सभी सुविधाओं से सुसज्जित 198 छः मंजिले भवनों का इन्डीपेन्डेन्ट अपार्टमेन्ट।
- आरक्षित श्रेणी के आवेदकों को नियमानुसार आरक्षण का लाभ।
- राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्थाओं से कम से कम ब्याज दर पर होम लोन की सुविधा।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक सी.एल.एल.एस. के अन्तर्गत होम लोन के ब्याज पर छूट का लाभ।
- ''पहले आओ पहले पाओ'' के आधार पर मनपसन्द भवन प्राप्त करने का अवसर।
- संस्था/ग्रुप के लिए एक ही कलस्टर में भवनों की उपलब्धता।
- आगामी तीन माह में भवनों का कब्जा दिया जाना प्रस्तावित।

1. **योजना का नाम–**

अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत आनन्द विहार योजना के एच ब्लॉक में बहुमंजिले भवन

2. **भवनों की श्रेणी–**

- मध्यम आय वर्ग श्रेणी–1 (MIG-1)
- मध्यम आय वर्ग श्रेणी–2 (MIG-2)
- निम्न मध्यम आय वर्ग श्रेणी–3 (LMIG)

3. **योजना कोड–**

योजना कोड–245

4. **योजना की स्थिति–**

योजना दिल्ली–लखनऊ राजमार्ग (एन.एच.–9) के निकट प्राधिकरण की आनन्द विहार आवासीय योजना के ब्लॉक एच में स्थित है।

5. **भवनों का कबर्ड एरिया–**

- मध्यम आय वर्ग श्रेणी–1, कबर्ड एरिया : 74.54 वर्ग मी0
- मध्यम आय वर्ग श्रेणी–2, कबर्ड एरिया : 68.16 वर्ग मी0
- निम्न मध्यम आय वर्ग श्रेणी–3 कबर्ड एरिया : 46.46 वर्ग मी0

★ यदि साइट प्लान के अनुसार भूमि का क्षेत्रफल आवंटित क्षेत्रफल से अधिक हो जाता है तो आवंटित क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत की सीमा तक अधिक होने पर पुरानी दर (आवंटन के सामय की दर) तथा उसके अतिरिक्त बढ़े हुए क्षेत्रफल हेतु नई दर (तत्समय प्रभावी दर) लगायी जायेगी

6. **अवस्थित अधिमार–**

★ यदि भवन के निबन्धन से पूर्व शासन द्वारा अन्य कोई अधिमार लगाया जाता है तो शासनादेशानुसार उसका भुगतान भी आवंटी को करना होगा।

★ उक्त प्रकार के अधिभार को भवन के मूल्य में जोडकर नियमानुसार लीज रेन्ट शुल्क भी देय होगा।

7. **पात्रता–**

★ आवेदक भारत का नागरिक हो तथा आवेदक संविदा हेतु सक्षम हो।

★ आवेदन पत्र जमा करने की दिनांक पर आवेदक व्यस्क हो।

8. **आवेदन कैसे करे–**

★ विवरण पुस्तिका तथा आवेदन पत्र दिनांक 27.01.2021 से निम्नलिखित बैंकों की शाखाओं से रू.500/– का नकद भुगतान अथवा प्राधिकरण कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

★ निर्धारित शुल्क के साथ प्राधिकरण की वेबसाइट से भी आवेदन पत्र डाउनलोड़ किया जा सकता है।

★ हस्ताक्षरित आवेदन पत्र विधिवत रूप से भरकर निर्धारित पंजीकरण धनराशि, जो उपाध्यक्ष, हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण के नाम से देय बैंक ड्राफ्ट के रूप में मान्य होगी, के साथ प्राकिरण के सम्पत्ति अनुभाग मे निर्धारित समयवधि में जमा किया जा सकेगा।

हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण

केनरा बैंक की शाखाएँ

- ★ हापुड़ – हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण परिसर हापुड़, फोन: 0122–2308517
- ★ गाजियाबाद – महालक्ष्मी माल, आर0डी0सी0 राजनगर, फोन: 0120–2964631
- ★ पिलखुवा – गाँधी रोड, फोन: 0122–2322187, 9412774668
- ★ गढ़मुक्तेश्वर – प्रथम तल, द्विवेदी बिल्डिंग, गढ़ चौपला, फोन: 9412774659

एक्सिस बैंक की शाखाएँ

- ★ हापुड़ – ग्राउण्ड फ्लोर ग्लोब प्लाजा, गुरूद्वारा के पास, मेरठ रोड, हापुड़।
- ★ पिलखुवा – 422, ग्राउण्ड फ्लोर, सर्वोदय नगर, पिलखुवा।
- ★ गाजियाबाद – प्लॉट नं0–3, एच–30, अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद।

कम सं0	सम्पत्ति श्रेणी	कवर्ड एरिया (वर्ग मी0)	अनुमानित मूल्य (प्रति भवन)		आरक्षित श्रेणी हेतु पंजीकरण राशि		सामान्य श्रेणी हेतु पंजीकरण राशि		भवन की संख्या
			भूतल, प्रथम व द्वितीय तल	तृतीय, चतुर्थ व पंचम तल	भूतल, प्रथम व द्वितीय तल	तृतीय, चतुर्थ व पंचम तल	भूतल, प्रथम व द्वितीय तल	तृतीय, चतुर्थ व पंचम तल	
1	मध्यम आय वर्ग श्रेणी–1	74.54	2520000	2398000	126000	119900	252000	239800	54
2	मध्यम आय वर्ग श्रेणी–2	68.16	2304000	2192000	115200	109600	230400	219200	114
3	निम्न मध्यम आय वर्ग	46.46	1596000	1518000	79800	75900	159600	151800	135

टिप्पणी–उपरोक्त भवन के मूल्य पर जी0एस0टी0 व अन्य कर की देयता आवंटी द्वारा वहन की जायेगी।

10. आवंटन धनराशि–

उपरोक्त तालिका में वर्णित भवनों हेतु निश्चित आवंटन के उपरान्त आरक्षित/आवंटित भवन के मूल्य की 30 प्रतिशत धनराशि (पंजीकरण धनराशि समायोजन के उपरान्त) आरक्षण/आवंटन पत्र जारी होने से एक माह के अन्दर जमा करनी होगी। यदि आरक्षण/आवंटन पत्र जारी होने की से एक माह के अन्दर धनराशि जमा नहीं की जाती है तो आरक्षण निरस्त कर धारा 13 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

11. भुगतान प्लान–

- ★ प्लान ए: कैश डाउन पद्धति: अवशेष 70 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 60 दिन के अन्दर बिना ब्याज के जमा की जा सकती है।
- ★ प्लान बी: अवशेष 70 प्रतिशत धनराशि 12 तिमाही किश्तों में 12 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान की जा सकती है।
- ★ प्लान सी: अवशेष 70 प्रतिशत धनराशि 40 तिमाही किश्तों में 12 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान की जा सकती है।
- ★ आवंटन–पत्र जारी होने की दिनांक से 60 दिन में एक मुश्त भुगतान करने पर आवंटी को भवन के कुल मूल्य में 05 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।
- ★ किश्तों में ब्याज जोड़कर मांगपत्र तैयार किया जायेगा तथा ब्याज की गणना रूपये के निकटतम पूर्णांक में होगी।
- ★ आवेदक को पेमेन्ट प्लान के सम्बंध में अपना विकल्प आवेदन–पत्र के साथ ही देना होगा।
- ★ किश्तों से सम्बन्धित सभी नगद/बैंक ड्राफ्ट द्वारा किसी भी कार्यदिवस में प्रात: 10:00 बजे से अपरान्ह 2:00 बजे तक केनरा बैंक, एच0पी0डी0ए0 कार्यालय परिसर शाखा में जमा करायी जा सकती है। बैंक ड्राफ्ट उपाध्यक्ष, हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण के पक्ष में हापुड़ में देय होना चाहिए। भुगतान हेतु किसी स्थिति में चेक स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- ★ बैंक ड्राफ्ट के पृष्ठ भाग पर आवेदक का नाम, आवेदन पत्र संख्या, भवन की श्रेणी तथा दूरभाष या मोबाईल नम्बर (यदि कोई हो) अवश्य अंकित करें।
- ★ अपूर्ण गलत भरे गये एवं बिना हस्ताक्षर किये आवेदन पत्र, आवेदक को बिना किसी पूर्व सूचना दिये निरस्त कर दिये जायेंगे।

★ आरक्षित श्रेणी के आवेदक अपने पत्र के साथ सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी के प्रमाण-पत्र, जो तहसीलदार/उपजिला मजिस्ट्रेट/ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो, कि प्रमाणित प्रति संलग्न करें अन्यथा आवदेन सामान्य श्रेणी में माना जायेगा। आरक्षित/आवंटित होने की दशा में मूल-प्रमाण-पत्र सत्यापन हेतु कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

12. दण्ड ब्याज-

यदि हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण को देय धनराशि का भुगतान निर्धाति समय अवधि में नहीं किया तो देय धनराशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के अतिरिक्त 2.50 प्रतिशत वार्षिक दर से दण्ड ब्याज सहित देय धनराशि का भुगतान करना होगा। तीन महीने की अवधि में ब्याज सहित भुगतान न करने की दशा में बिना किसी पूर्व सूचना के आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

13. समर्पण/निरस्तीकरण-

1. किसी भी परिस्थिति में आवंटन से पूर्व पंजीकरण धनराशि वापिस किये जाने का प्राविधान नहीं है।
2. यदि किसी आवंटी द्वारा आवंटित भवन का समर्पण, आवंटन तिथि के 3 माह के अन्दर किया जाता है तथा वह नियम व शर्तो को उल्लंघन नहीं करता है तो उस स्थिति में पंजीकरण राशि की 10 प्रतिशत कटौती कर शेष धनराशि बिना ब्याज के वापिस कर दी जायेगी।
3. यदि किसी आवंटी द्वारा आवंटित भवन का समर्पण आवंटन तिथि के 3 माह के अन्दर किया जाता है तथा वह नियम व शर्तो का उल्लंघन करता है अथवा नियम व शर्तो के आधार पर हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटन निरस्त कर दिया जाता है तो उस स्थिति में पंजीकरण की 25 प्रतिशत धनराशि कटौती कर शेष धनराशि बिना ब्याज के वापिस कर दी जायेगी।
4. आवंटन तिथि से 3 माह के पश्चात किसी भी प्रकार के समर्पण/निरस्तीकरण की दशा में भवन की पंजीकरण धनराशि जब्त कर ली जायेगी और शेष धनराशि यदि कोई हो तो बिना ब्याज के वापिस कर दी जायेगी।

14. आरक्षण/आवंटन की बहाली-

यदि आवंटी की गलती से आरक्षण/आवंटन निरस्त होता है तो ऐसी दशा में बहाली के लिए सम्पत्ति का जो मूल्य लगाया जायेगा, वह वर्तमान मार्केट दर का 75 प्रतिशत अथवा योजना का प्रचलित वर्तमान मूल्य, जो दोनों में अधिक है, के बराबर होगा। यदि विकास प्राधिकरण की गलती से कोई आवंटन निरस्त होता है जो ऐसी स्थिति में बहाली न मानते हुए, पुनर्जीवित माना जायेगा और सम्पत्ति का मूल्य पूर्ववतः रहोगा। रेस्टोरेशन पूर्ण धन की अदायगी के बाद ही किया जायेगा।

15. कोटा-

निम्नलिखित श्रेणी के आवेदकों को शासनादेश के अनुसार आवंटन में आरक्षण सुविधा दिये जाने का प्रावधान है-

क्र0सं0	कोटा विवरण	कोटा कोड संख्या	कोटा प्रतिशत
1.	अनुसूचित जाति	02	21
2.	अनुसूचित जनजाति	03	2
3.	अन्य पिछडा वर्ग	04	27
4.	रक्षा कार्मिक एवं सरकारी कर्मचारी, जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक हो,		
	(क) रक्षा कार्मिक	05	5
	(ख) सरकारी कार्मिक	06	
5.	(क) स्वतंत्रता सेनानी	07	5
	(ख) संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य/विधान परिषद सदस्य	08	
6.	(क) उत्तर-प्रदेश विकास प्राधिकरण कर्मचारी	09	2
	(ख) सिटी बोर्ड कर्मचारी	10	
	(ग) उ.प्र. नगर निगम कर्मचारी	11	
	(घ) उ.प्र. जल संस्थान कर्मचारी	12	
	(ड़) उ.प्र. हाउसिंग बोर्ड कर्मचारी	13	
7.	भूतपूर्व सैनिक एवं उनके आश्रित	14	3
8.	विकलांग आवदेक	15	धारा 16 के अनुसार
9.	वरिष्ठ नागरिक	16	धारा 17 के अनुसार

महत्वपूर्ण–

1. उत्तर–प्रदेश राज्य के बाहर के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक इस योजना में आरक्षण हेतु पात्र नही है ऐसे समस्त आवेदक जिन्होंने उत्तर–प्रदेश के बाहर का जाति प्रमाण–पत्र लगाकर आवेदन किया है, सामान्य श्रेणी के आवेदक माने जायेंगे।
2. यह योजना पहले आओ पहले पाओ के आधार पर जनसामान्य को उपलब्ध करायी जा रही है। तदक्रम में सभी आरक्षित वर्ग श्रेणी के आवेदकों को सभी भवन ''पहले आओ पहले पाओ'' के आधार पर उपलब्ध रहेंगे।

16. विकलांग आवेदक–

विकलांग आवेदकों को प्रत्येक श्रेणी के कोटे में शासनादेश संख्या 3645/8–1–2011–25 विविधि /07, दिनांक 19.12.2011 के अनुसार 3 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा अनुमन्य है। अतः विकलांग आवेदकों को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत विकलांग होने एवं सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी को प्रमाण–पत्र भी आवेदन पत्र के साथ लगाना आवश्यक है। सामान्य श्रेणी के विकलांग आवेदक पत्र की क्रम संख्या–12 में कोटा 01 भरें तथा क्रम संख्या–13 में कोड 15 भरें।

17. वरिष्ठ नागरिक–

वरिष्ठ नागरिकों को शासनादेशानुसार प्रत्येक आरिक्षत श्रेणी के कोटे में 10 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा अनुमन्य है। अतः ऐसे आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ उम्र का प्रमाण–पत्र एवं सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी का सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र लगाना आवश्यक है। सामान्य श्रेणी के वरिष्ठ नागरिक आवेदन पत्र की क्रमांक–12 में कोटा कोड 01 तथा क्रम संख्या–14 में कोड–16 भरें।

18. आरक्षित श्रेणी के आवेदक न होना–

अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को छोड़कर शेष अन्य आरक्षित श्रेणियों में यदि आवेदक नहीं होते है अथवा भवनों की संख्या से कम आवेदक होते है तो ऐसी दशा मे बचे शेष भवनों का आरक्षण सामान्य श्रेणी के आवेदकों को कर दिया जायेगा। अनुसूचित जनजाति के बचे शेष भवनों का आरक्षण अनुसचित जाति के आवेदकों को कर दिया जायेगा।

19. आवंटन–

- ★ भवनों का आवंटन उपलब्धता के आधार पर ''पहले आओ पहले पाओ'' के माध्यम से किया जाएगा।
- ★ आवेदक द्वारा चयनित भवन के सापेक्ष पंजीकरण धनराशि जमा कराने पर तत्काल भवन का आवंटन कर दिया जायेगा।
- ★ भवन की उपलब्धता की जानकारी प्राधिकरण के सम्पत्ति अनुभाग तथा समय–समय पर प्राधिकरण की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।
- ★ समस्त भवन विक्रय होने की स्थिति में निर्धारित समयावधि से पूर्व योजना समाप्त समझी जायेगी।

20. मिथ्या अभ्यावेदन अथवा तथ्यों को छुपाना–

यदि यह पाया गया है कि आवेदक द्वारा गलत सूचना दी गई है अथवा उसने किन्हीं वास्तविक तथ्यों को छुपाया है तो पंजीकरण के साथ–साथ भवन आरक्षण/आवंटन आवेदक को बिना बताये निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसकी पंजीकरण धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।

21. कब्जा–

- ★ प्राधिकरण द्वारा कब्जा हस्तातरण हेतु निर्गत सूचना के उपरान्त कब्जा प्राप्त करने से पूर्व आवंटी को निर्धारित समयावधि में समस्त देयता का भुगतान करने के साथ 10 प्रतिशत लीज रेन्ट की धनराशि जमा कराकर पंजीकृत पट्टा विलेख निष्पादित कराना होगा। पट्टा विलेख हेतु देय स्टाम्प शुल्क आवेदक को स्वयं वहन करना होगा।
- ★ भवन के कुल मूल्य में सम्मिलित भूमि की 10 प्रतिशत धनरशि/तत्समय लागू दर लीज होल्ड अधिभार के रूप में पटट्ा विलेख से पूर्व देय होगी।
- ★ आवंटी को समय–समय पर लागू होने वाले समस्त म्यूनिसिपल कर एवं अन्य कर जो स्थानीय निकाय या शासन द्वारा नियम एवं उपनियम के अन्तर्गत लगाये जाते है, का भुगतान कब्जा लेने की तिथि से समय–समय पर करना होगा।
- ★ यदि आवंटी किस्तों में भुगतान के पश्चात रजिस्ट्री की सूचना पाने के 30 दिन के अन्दर निबंधन कराकर कब्जा प्राप्त नहीं करता है तो निम्न प्रकार चौकीदार शुल्क देय होगा।
- ★ प्रथम तीन माह तक रू0 10 प्रतिदिन
- ★ द्वितीय तीन माह तक रू0 20 प्रतिदिन
- ★ तृतीय तीन माह तक रू0 25 प्रतिदिन इसके पश्चयात कब्जा नहीं लेंने की स्थिति में भवन का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा एवं धारा 13 अनुसार कटौती करके शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।

22. विक्रय पद्धति–

- भवनों का आवंटन लीज होल्ड आधार पर 90 वर्ष के लिए किया जायेगा। भवन की भूमि के मूल्य का 10 प्रतिशत लीज होल्ड अधिभार/तत्समय प्रभावी दर पटट्ा विलेख से पूर्व देय होगा।
- प्राधिकरण से अनापत्ति प्राप्त कर भवन का स्वामित्व स्थानान्तरित किया जा सकता है, जिसका म्यूटेशन कराया जाना आवश्यक है।

23. विक्रय विलेख–

आवंटी को समस्त मूल्य जमा कर भुगतान की तिथि से 3 महिने के अन्दर अपने खर्चो पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रारूप में संविदा विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराना होगा। यदि निर्धारित अवधि में विलेख नहीं कराया जाता है तो भवन निरस्त कर दिया जायेगा।

24. भवन का उपयोग–

आवंटी अथवा उसके किरायेदार द्वारा भवन का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिए करना होगा।

25. अनुरक्षण प्रभार–

- जब तक योजना की अवस्थापना सुविधायें जैसे–सड़क, नाली, पार्क, जलापूर्ति, सीवरेज, मार्ग, प्रकाश व्यवस्था का हस्तान्तरण नगर पालिका परिषद/उत्तर–प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन/आर0डब्लू0ए को नहीं हो जाता तब तक अनुरक्षण/रखरखाव प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा तथा इस हेतु निर्धारित अनुरक्षण शुल्क देना होगा।
- आवंटी विद्युत कनेक्शन व पानी का कनेक्शन संबंधित विभागों से अपने खर्च पर स्वयं लेगा।
- प्रश्नगत योजना में उत्तर–प्रदेश अर्पामेन्ट एक्ट–2010 (यथा संशोधित) के प्राविधान लागू होंगे।

26. अन्य महत्वपूर्ण सूचनाऐं–

- आवंटन तक इस योजना की किसी भी शर्त में संशोधन का अधिकार हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण को होगा तथा ऐसे संशोधन आवेदकों/आवंटियों को मान्य होगें।
- तालिका–1 में दशायें गये क्षेत्रफल में परिवर्तन हो सकता है। योजना के वास्तविक क्रियान्वयन के समय भवनों के क्षेत्रफल में परिवर्तन सम्भव है जो कि अन्तिम रूप से बाद में सूचित किया जायेगा, जिसे आवंटी को स्वीकार करना होगा तथा उसके अनुसार भुगतान करना होगा।
- भविष्य में पत्र व्यवहार अथवा धनराशि की वापसी केवल आवेदक के नाम में की जायेगी।
- इस योजना से सम्बन्धित प्रत्येक प्रकरण पर उपाध्यक्ष, हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा।
- किसी भी वाद–विवाद की स्थिति में केवल हापुड़ कोर्ट को अधिकार क्षेत्र प्राप्त होगा।
- यदि आवेदक किसी आरक्षण श्रेणी के विरूद्ध आरक्षण सुविधा का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उस दशा में आरक्षित श्रेणी से सम्बन्धित प्रमण–पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी। प्रमाण–पत्र संलग्न न करने की दशा में आवेदन निरस्त किया जा सकता है।

समस्त भूमि का अधिग्रहण विधि अनुसार समुचित मुआवजा प्रदान करने के बाद किया गया है। यदि कोई अपील/रिट पिटीशन/पुनरीक्षण/एस0एल0पी0 आदि किसी पूर्व भूमि धारक द्वारा किसी भी न्यायालय के आदेशानुसार दर्ज की जाती है, व उसमें मुआवजों की धनराशि का बढ़ाने का आदेश न्यायालय द्वारा दिया जाता है तो उक्त बढ़ी धनराशि को चुकाने का समस्त भार (भवन की श्रेणी, ले आउट प्लान के अनुसार) क्रेता पर होगा। उपरोक्त परिस्थिति में प्राधिकरण द्वारा क्रेता को एक माँग पत्र जारी किया जायेगा, जिसमें अतिरिक्त देय क्षतिपूर्ति की धनराशि व अंतिम देय तिथि को दर्शाया जायेगा। यदि क्रेता उपरोक्त धनराशि नियम समय तक अदा करने में असमर्थ रहता है तो विक्रेता को उक्त धनराशि को भूमि राजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने का अधिकार होगा।

उपाध्यक्ष
हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण, हापुड़, उत्तर–प्रदेश

हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण

आवेदन–पत्र भरने के लिए मुख्य मार्गदर्शन

1.	क्र.सं.1	सम्पत्ति श्रेणी	जिस श्रेणी के भवन हेतु आवेदन करना चाहते है, उसके सामने (✓) भरें	
			श्रेणी–1 (MIG-1)	
			श्रेणी–2 (MIG-2)	
			श्रेणी–3 (LMIG)	
2.	क्र.सं.9	आयु	आवेदक अपनी आयु पूर्णांक में ही भरें।	जैसे 45 वर्ष।
3.	क्र.सं.10	लिंग	पुरूष आवेदक	M भरें।
			महिला आवेदक	F भरें।
4.	क्र.सं.11	वैवाहिक स्थिति	विवाहित आवेदक	M भरें।
			अविवाहित आवेदक	S भरें।
			विधवा/विधुर आवदेक	W भरें।
			अन्य आवेदक (कम्पनी आदि)	N भरें।
5.	क्र.सं.12	कोटा कोड	(1) सामान्य श्रेणी के आवेदक	01 भरें।
			(2) विवरण पुस्तिका में दी गयी तालिका के क्रम संख्या 1 से 9 तक आरक्षित श्रेणी के आवेदक तालिका के कॉलम 3 के अनुसार कोटा कोड़ भरें।	
6.	क्र.सं.13	विकलांग कोड	विकलांग आवेदक 15 भरें। शेष आवदेक NA भरें।	
7.	क्र.सं.14	वरिष्ठ नागरिक	वरिष्ठ आवेदक 16 भरें। शेष आवदेक NA भरें।	
8.	क्र.सं.15	पंजीकरण धनराशि	आवेदन–पत्र के साथ जमा की जाने वाली पंजीकरण धनराशि भरें।	

अन्य निर्देश

1. शेष क्रम संख्या स्वतः स्पष्ट है।
2. संलग्नकों पर आवेदन–पत्र संख्या अंकित करें।
3. आवेदन–पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले सभी प्रमाण–पत्र, बैंक/राजपत्रित/सक्षम अधिकारी से प्रमाणित होने चाहिए।
4. आवेदन–पत्र के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड की छाया प्रति संलग्न करें।
4. जामा किये जाने वाले बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के पृष्ठ भाग पर अपना नाम, सम्पत्ति की श्रेणी एवं आवेदन–पत्र संख्या अवश्य अंकित करें।
5. जो लागू न हो उसे काट दें।
6. आवेदन–पत्र पर हस्ताक्षर आवेदकों द्वारा स्वयं अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा जिसे आवेदक द्वारा रू0 10 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर किसी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अथवा सब रजिस्ट्रार कार्यालय से पंजीकृत कराकर जिसे विशेष अटोर्नी अधिकार दिया गया हो, किया जाना चाहिए।
7. आवेदकों द्वारा आवेदन–पत्र में कोड़ आदि 1,2,3,4,5,6 आदि भरने के लिए भारतीय संख्याओं के अन्तर्राराट्रीय अंकों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। केवल इस प्रकार भरें हुए कोड़ नम्बर को ही अभिलेखों में लिया जायेगा।
8. आवेदन–पत्र अंग्रेजी अथवा हिन्दी भाषा में ही भरा जाना चाहिए तथा उस पर हस्ताक्षर किसी भी भाषा में किए जा सकते हैं।

9. विभिन्न मदों के कोड़ नं0 स्कीम ब्रोशर में दिये गये हैं।
10. अधूरे/अवैध/अपठनीय आवेदन पत्रों को रद्द कर दिया जायेगा। इस सम्बंध मे कोई भी पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा।
11. एक खाने में केवल एक वर्ण (अक्षर अथवा अंक) ही भरें।
जैसे –

S	O	H	A	N		L	A	L

सो	ह	न		ला	ल

12. आवंटी द्वारा भविष्य में किये जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन–पत्र संख्या, योजना कोड़ अवश्य लिखना चाहिए।
13. डाक पते में हुए किसी भी परिवर्तन की सूचना परिवर्तित पते का पहचान–पत्र/निवास प्रमाण–पत्र सहित हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण को तत्काल दी जानी चाहिए।
14. जैसे कि धारा 15 में विवरण दिया गया है कुछ श्रेणी के आवेदकों को आरक्षण सुविधा दी गयी है। अदावेदक अपनी श्रेणी को कोटा भरें। यदि आप एक अधिक आरक्षित वर्ग से सम्बन्धित श्रेणी में आते हैं तो केवल कोड़ लिखें जिस श्रेणी में रहना चाहते हैं। कोटा के विरूद्ध आवेदन करने हेतु समुचित प्रमाण–पत्र संलग्न करें अन्यथा आपका आवेदन–पत्र सामान्य श्रेणी में समझा जायेगा। सामान्य श्रेणी के आवदेकों को कोटा कोड के स्थान पर 01 भरना चाहिए।
    क) अनुसचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग एवं स्वतन्त्रता सेनानी के आवेदकों को सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र संलग्न करना चाहिए।
    ख) उत्तर–प्रदेश विकास प्राधिकरण, उ0प्र0 नगर निगम, जल संस्थान एवं आवास विकास परिषद के कर्मचारी को अपने आवेदन–पत्रों के साथ अपने नियोजक द्वारा जारी प्रमाण–पत्र लगाना चाहिए।
    ग) एम0पी0/एम0एल0ए0/एम0एल0सी0 श्रेणी के आवेदकों को अपने शासकीय पत्र शीर्ष पर एक प्रमाण–पत्र संलग्न करना चाहिए एवं ''सार्वजनिक सेवा के कर्मचारियों एवं डिफेन्स कर्मचारियों जो कि 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं'', श्रेणी के अधीन आने वाले आवेदकों को अपने नियोजक का सेवा प्रमाण–पत्र संलग्न करना चाहिए।
15. योजना की अन्तिम तिथि के बाद आवेदन–पत्र के पते में परिवर्तन के अतिरिक्त और किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

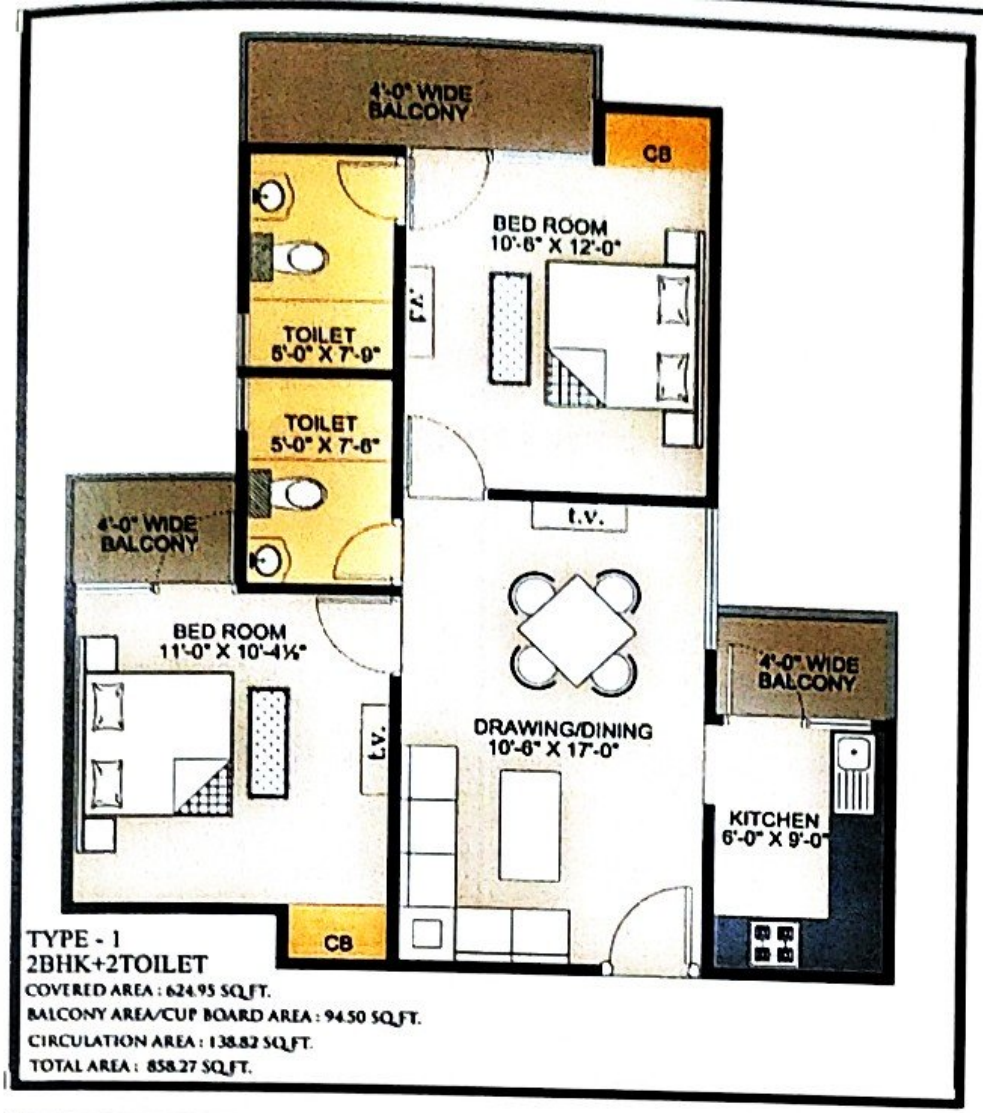

TYPE - 1
2BHK+2TOILET
COVERED AREA : 624.95 SQ.FT.
BALCONY AREA/CUP BOARD AREA : 94.50 SQ.FT.
CIRCULATION AREA : 138.82 SQ.FT.
TOTAL AREA : 858.27 SQ.FT.

TYPE - 2
2BHK+1W.C+1BATH
COVERED AREA : 548.64 SQ.FT.
BALCONY AREA/CUP BOARD AREA : 93.53 SQ.FT.
CIRCULATION AREA : 138.27 SQ.FT.
TOTAL AREA : 780.44 SQ.FT.